GSTIN : 09AAACU8823E1Z9

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Transmission Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

कारपोरेट टैक्स (जी0एस0टी0 सैल) Corporate Tax (GST CELL)

CIN: U40101UP2004SGC028687

द्वितीय तल, शक्ति भवन विस्तार, 14—अशोक मार्ग, लखनऊ—226001, रैक्स— 8270, 8257

IInd Floor, Shakti Bhawan Ext., 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, E-mail - dgmtaxuppcl@gmail.com

पत्र सं0: 07/उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सैल/2017—18 दिनांक: 15.11.2017

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0

मुख्य अभियन्ता (डी0एण्डपी0)/765के0वी0/
सी0 एण्ड सी0/सी0एम0यू0टी0/जानपद (i)/(ii)
पारेषण मध्य/पूर्व/पश्चिम/दक्षिण
उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0
लखनऊ/इलाहाबाद/मेरठ/आगरा

विषय: टर्नकी आधार पर सब—स्टेशन एवं ट्रान्समिशन लाईन्स के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रण के सम्बन्ध में।

सी0जी0एस0टी0 एक्ट की धारा 2 (119) के अनुसार वर्क्स कान्ट्रैक्ट को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :—
'Work contract' means a contract for building, construction, fabrication, completion, erection, installation, fitting out, improvement, modification, repair, maintenance, alteration or commissioning of any immovable property wherein transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) is involved in the execution of such contract.

किसी भी कार्य को उक्त परिभाषा के अनुसार वर्क कान्ट्रैक्ट की श्रेणी में रखने के लिये निम्न गुणों का होना अनिवार्य हैं :—

1. अनुबन्ध इनमें से किसी कार्य के लिये होना चाहिये—

   "Building, construction, fabrication, completion, erection, installation, fitting out, improvement, modification, repair, maintenance, alteration or commissioning.

2. कार्य **अचल सम्पत्ति** के सम्बन्ध में होना चाहिये।
3. कार्योपरान्त उस कार्य/सम्पत्ति का स्वामित्व कार्यदायी संस्था द्वारा निगम को सौंप दिया जाना चाहिये।

निगम द्वारा टर्नकी आधार पर निर्माण कराये जा रहे सब—स्टेशन एवं ट्रान्समिशन लाइन्स उपर्युक्त परिभाषा के सभी तत्वों को पूरा करते है। अतः वर्क्स कान्ट्रैक्ट की श्रेणी में माना जा सकता है।

सी0जी0एस0टी0 एक्ट के Schedule II के अनुसार वर्क्स कान्ट्रैक्ट को सेवाओं की श्रेणी में रखा गया है जिसके अनुसार सप्लाई एवं कार्य दोनों पर समान जी0एस0टी0 दर (वर्तमान में 18%) लागू होगा।

(प्रभात कुमार गुप्ता)
उप महाप्रबन्धक
(कारपोरेट टैक्स)

पत्र सं0: 07/उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सैल/2017–18 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1– मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।

2– उप महाप्रबन्धक (लेखा), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, पारेषण मध्य/पूर्व/पश्चिम/दक्षिण, लखनऊ/इलाहाबाद/मेरठ/आगरा।

3– उप महाप्रबन्धक (लेखा)/उप महाप्रबन्धक (निधि), उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।

4– अधिशाषी अभियन्ता, सम्बद्ध निदेशक (ऑपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, 11वां तल शक्ति भवन विस्तार, को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(प्रभात कुमार गुप्ता)
उप महाप्रबन्धक
(कारपोरेट टैक्स)